# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

..- 121/2024

1. भजनलाल सैनी पुत्र प्रभुदयाल सैनी जाति माली निवासी साहवा तहसील तारानगर (चूरू)
2. किशोर कुमार सैनी पुत्र प्रभुराम सैनी जाति माली निवासी साहवा तहसील तारानगर (चूरू)

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

– अप्रार्थी –

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

## निर्णय

दिनांक 13.6.24

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता नं 1192 ख.नं. 1201 तादादी 03.1107 हैक्टयर, ख.नं. 1251 तादादी 05.7914 हैक्टयर, ख.नं. 1604/887 तादादी 01.7071 हैक्टयर, ख.नं. 890 तादादी 08.2193 हैक्टयर, ख.नं. 905 तादादी 08.1307 हैक्टयर कुल तादादी 26.1307 हैक्टेयर हैं। जिसमें प्रार्थीगण का नाम भजनलाल पुत्र प्रभुराम, किशोरकुमार पुत्र प्रभुराम अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थीगण का सही नाम भजनलाल सैनी पुत्र प्रभुदयाल सैनी, किशोर कुमार सैनी पुत्र प्रभुराम सैनी हैं। प्रार्थीगण के नाम के आधार कार्ड, मूल निवास पत्र, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भजनलाल सैनी पुत्र प्रभुदयाल सैनी, किशोर कुमार सैनी पुत्र प्रभुराम सैनी है, जो कि प्रार्थी का सही नाम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को कृषि ऋण, फसल बयान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थीगण जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थीगण ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता नं 1192 ख.नं. 1201 तादादी 03.1107 हैक्टयर, ख.नं. 1251 तादादी 05.7914 हैक्टयर, ख.नं. 1604/887 तादादी 01.7071 हैक्टयर, ख.नं. 890 तादादी 08.2193 हैक्टयर, ख.नं. 905 तादादी 08.1307 हैक्टयर कुल तादादी 26.1307 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का नाम भजनलाल सैनी पुत्र प्रभुदयाल सैनी, किशोर कुमार सैनी पुत्र प्रभुराम सैनी किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट पटवार हल्का साहवा के अनुसार प्रार्थी भजनलाल सैनी पुत्र प्रभुदयाल सैनी, किशोर कुमार सैनी पुत्र प्रभुराम सैनी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपना नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर भजनलाल पुत्र प्रभुराम, किशोरकुमार पुत्र प्रभुराम की भजनलाल सैनी पुत्र प्रभुदयाल सैनी, किशोर कुमार सैनी पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

प्रभुराम सैनी करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में भजनलाल पुत्र प्रभुराम, किशोरकुमार पुत्र प्रभुराम अंकित है। अतः प्रार्थी का नाम भजनलाल पुत्र प्रभुराम, किशोरकुमार पुत्र प्रभुराम की जगह भजनलाल सैनी पुत्र प्रभुदयाल सैनी, किशोर कुमार सैनी पुत्र प्रभुराम सैनी दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि **पटवार हल्का साहवा** की रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र **कृषि भूमि** रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता नं 1192 ख.नं. 1201 तादादी 03.1107 हैक्टयर, ख.नं. 1251 तादादी 05.7914 हैक्टयर, ख.नं. 1604/887 तादादी 01.7071 हैक्टयर, ख.नं. 890 तादादी 08.2193 हैक्टयर, ख.नं 905 तादादी 08.1307 हैक्टयर कुल तादादी 26.1307 हैक्टेयर की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम भजनलाल पुत्र प्रभुराम, किशोरकुमार पुत्र प्रभुराम के स्थान पर भजनलाल सैनी पुत्र प्रभुदयाल सैनी, किशोर कुमार सैनी पुत्र प्रभुराम सैनी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है अतः **कृषि भूमि** रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता नं 1192 ख.नं. 1201 तादादी 03.1107 हैक्टयर, ख.नं. 1251 तादादी 05.7914 हैक्टयर, ख.नं. 1604/887 तादादी 01.7071 हैक्टयर, ख.नं. 890 तादादी 08.2193 हैक्टयर, ख.नं. 905 तादादी 08.1307 हैक्टयर कुल तादादी 26.1307 हैक्टेयर की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम **भजनलाल पुत्र प्रभुराम, किशोर कुमार पुत्र प्रभुराम** के स्थान पर **भजनलाल सैनी पुत्र प्रभुदयाल सैनी, किशोर कुमार सैनी पुत्र प्रभुराम सैनी** दुरूस्त किया जाने के आदेश प्रदान कियें जातें है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचारण न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सूर्यकान्त शर्मा, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सूर्यकान्त शर्मा, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)